## कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

//प्रारंभिक् अधिसूचना//

कमांक/ 5360 /भू-अर्जन/2024

दंतेवाड़ा दिनांक 1 5.09.2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजिनक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है,अतः भूमि अर्जन,पुनर्वासन तथा पूनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम २०१३(जिसे एतद् पश्चात अधिनियम २०१३ कहा जायेगा ) की धारा ११ की उपधारा (१) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है,कि राज्य शासन,एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है।

–अनुसूची–

	भूमि का विवरण				प्राधिकृत	सार्वजनिक
जिला	तहसील ग्राम/ कमशः खसरा नं कमशः क्षेत्राहन विस्था से।				अधिकारी	प्रयोजन का
Total	Ciocnei	21-17	🕯 क्रमशः खसरा नं.	क्रमशः.क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	Silgard	
-		प०ह०नं०	7	लगभग		विवरण
1	2	3	4	5	6	7
दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	बालपेट	208,230/1,238/1,	0.01,0.01,0.01,0.03,	कार्यपालन	बायपास गीदम
		प०ह०नं०	286,290,294,295,	0.13,0.09,0.02,0.04,	अभियंता	जनपद से
		-04	297,298,604,666,	0.02,0.11,0.03,0.12,	लोक निर्माण	बांगाबाड़ी
			605,606,661,664,671,	0.15,0.07,0.05,0.01,	विभाग	सड़क निर्माण
			674,675,676,685,697,	0.02,0.03,0.04,0.03,	दंतेवाड़ा	बालपेट
,			703,716,203/2,203/3,	0.11,0.04,0.02,0.01,		
			203/4,230/2,681,682/1,	0.01,0.01,0.02,0.02,		
	÷		682/2,682/4,686/2/5,	0.03,0.02,0.02,0.01,		
a .a •91			717/1,687,527,528,	0.04,0.02,0.25,0.06,	. , .	
			529, 667,	0.25,020,		
	योगः–		ş 39	1.43		

- यह भी सूचित किया जाता है,कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि 2. के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वंय अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम २०१३की घारा १५ की उपधारा (१) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दंतेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
- प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिये कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन 5. अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
- प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की घारा 43 के तहत् अनुविभागीय 6. अधिकारी,राजस्व दंतेवाड़ा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपूळ्न्∤के नाम से तथा आदेशानुसार

एवं पदेन उप सचिव छ०ग०शासन 🗘 र्प्रजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग